

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्रमांक एफ4(152s)प्राशिमं/पाविप्र/2012/

दिनांक:

प्रधानाचार्य,

समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,

विषय :- अभियांत्रिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश योजना के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों के **Deficiency Subjects** के अध्यापन करवाने की शर्त को विलोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक प 12(3)त.शि./2006 पार्ट-1 जयपुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 द्वारा अभियांत्रिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश योजना के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों के **Deficiency Subjects** के संबंध में मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार अभियांत्रिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश योजना के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदण्डानुसार प्रथम वर्ष के अतिरिक्त विषयों के अध्यापन करवाने की शर्त को विलोपित करने की अनुमति प्रदान की है।

अतः निर्देशानुसार मण्डल द्वारा पत्रांक एफ 4(152s)प्राशिमं/पाविप्र/2012/4548 दिनांक 23.07.12 के द्वारा द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों के **Deficiency Subjects** के संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में लेख है कि द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रथम वर्ष के विषयों का अध्यापन एवं परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा।

भवदीय

६६

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

दिनांक:

18 OCT 2012

क्रमांक एफ4(152s)प्राशिमं/पाविप्र/2012/ ६५०

प्रतिलिपि:- निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, ई-2, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक (सामान्य), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. विभागाध्यक्ष, (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. प्रभारी- परीक्षा शाखा/गोपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/सामान्य शाखा/पुस्तकालय।
8. नोडल अधिकारी (IT) को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करवाने हेतु।
9. श्री पुखराज पालीवाल, प्राशिमं. जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित को ई मेल द्वारा प्रेषित करें।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव